न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर

पीठासीन अधिकारी– सुश्री नवज्योति कंवरिया, आर०ए०एस०

मु०नं० 1/03/2024 तारीख रज्जू 22.01.2024 निर्णय दि० 21.03.2024

. प्रेमसिंह पुत्र श्री घीसाराम जाति जाट निवासी ग्राम केरवाजाट तहसील व जिला अलवर राज० ....वादी

बनाम

. खुशीराम पुत्र श्री घीसाराम जाति जाट निवासी ग्राम केरवाजाट तहसील व जिला अलवर ....असल प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88,89,188 आरटीएक्ट

प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0

निर्णय

प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि वादी
ी द्वारा मौजूदा दावा/प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जो
ूनन चलने योग्य और पोषणीय नहीं होने के कारण काबिल खारिज है। उक्त वाद और
के अनुतोष जिमन में यह तथ्य अंकित किया गया है कि निष्पादित बयनामा एवम
के आधार पर दर्ज इन्तकाल वादी एवम तरतीबी प्रतिवादीगण के हक हकुको के विरूद्ध
तेल बेअसर व शून्य घोषित किये जाने योग्य है। वादी द्वारा मौजूदा वाद में बयनामा
म इन्तकाल को विवादित बताते हुए बयनामा को शून्य करार दिये जाने व घोषित किये
ने का अनुतोष चाहा गया है जबकि यह तथ्य स्पष्ट है कि बयनामा को शून्य करार
षित किये जाने का कानूनन अधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को प्राप्त है और
जूदा वाद में चाहा गया अनुतोष श्रीमान राजस्व न्यायालय के श्रवण क्षेत्राधिकार में नहीं
ने के कारण मौजूदा वाद सुनवाई योग्य नहीं होने के कारण काबिल खारिज है। मौजूदा
द में वादी बयनामा एवम इन्तकाल को शून्य करार किया जाकर बातिल व बेअसर करने
। निवेदन किया है जबकि बयनामा शून्य करार दिये ... सुनवाई क्षेत्राधिकार सिविल
ायालय को है तथा इन्तकाल के विरूद्ध ... और विधि द्वारा स्थापित
ाद्धान्त एवम कानून के मुताबिक इन्तकाल ... के लिए उसके विरूद्ध अपील
क्षम न्यायालय में पोषणीय है। जिस कार्यवाही से बचने ... गरज से मौजूदा वा...
थ्यों एवम गलत अनुतोष के आधार पर न्यायालय में दायर किया गया है, जिस आधार
र मौजूदा वाद पोषणीय नहीं होने के कारण काबिल खारिज है।

अतः प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:49:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

त्र दर्ज रजि0 कर वादी अप्रार्थी ने जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थी प्रतिवादी ह कथन नितान्त गलत है कि मौजूदा दावा/प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर किया गया है और कानूनन पोषणीय नहीं है बल्कि वाद पत्र पूर्णतः सही एवं विक तथ्यो पर प्रस्तुत किया गया है और कानूनन पोषणीय है। मौजूदा वाद पत्र में ादी को बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है और निष्पादित बयनामा एव उसके र पर दर्ज इन्तकाल वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के हक हकूकों के विरूद्ध बातिल, र, शून्य घोषित किये जाने का निवेदन किया है। जिस संबंध में निवेदन है कि चूंकि देत आराजी हाल आराजी खसरा नंबर हाल 312 रकबा 0.53 है0 साबिक खसरा नंबर रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा हाल खसरा नंबर 1111 रकबा 1.18 हैक्टेयर साबिक खसरा 526 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, हाल खसरा नंबर 1154 रकबा 0.93 है0 साबिक खसरा 546 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 2.64 है0 वाके ग्राम ाजाट तहसील व जिला अलवर राज0 का 1/2 हिस्सा खाता संख्या नया 56 खाता ा पुराना 59 के हाल खसरा नंबर 633 रकबा 0.52 है0 साबिक खसरा नंबर 307 रकबा घा 1 बिस्वा सालिम वाके ग्राम केरवाजाट तहसील व जिला अलवर राज0 जो कि पूर्व दलू पुत्र श्री हरफूल जाति जाट निवासी ग्राम केरवाजाट तहसील व जिला अलवर 0 के कब्जा काश्तकारी खातेदारी की आराजी थी। उक्त विवादित आराजी को तरतीबी वादी संख्या 02 द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 जो कि उस समय नाबालिग था के नाम से दार बदलू से दिनांक 23.12.1976 को जरिये बयनामा लेखपत्र क्रमांक 1389 के खरीद ा गया था। चूंकि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार एवं हिन्दू मुश्तर्का खानदान के स्य हैं, तथा असल प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा परिवादी की शामलाती आय से अर्जित ा लगाकर उक्त विवादित आराजी का बयनामा उस समय असल प्रतिवादी संख्या 01 कि घर का सबसे बडा पुत्र था, तथा नाबालिग था, इसलिये तरतीबी प्रतिवादी संख्या द्वारा उक्त विवादित आराजी का बयनामा असल प्रतिवादी संख्या 01 खुशीराम पुत्र साराम नाबालिग जरिये सरपरस्त पिता घीसाराम के निष्पादित करा दिया गया। चूंकि तीबी प्रतिवादी संख्या 02 के वादी एवं असल प्रतिवादी संख्या 01 व तरतीबी प्रतिवादी ख्या 03 लगायत 07 पुत्र व पुत्रियां है, इसलिये बाद खरीद घीसाराम व उसके समस्त रिसान का उक्त विवादित आराजी में प्रत्येक का 1/8 हिस्सा है, तथा इसी अनुसार दी एवं असल प्रतिवादी संख्या 01 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 07 काबिज इकर काश्त करते चले आ रहे है। ऐसी सूरत में उक्त विवादित आराजी के विभाजन हेतु ादी द्वारा धारा 53 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है। चूंकि उक्त विवादित आराजी का बयनामा एवं उसके आधार पर दर्ज व वीकृत इन्तकाल को शून्य घोषित नहीं किया जाता, तो उक्त विवादित आराजी का विभाजन किया जाना भी संभव नहीं है। चूंकि उक्त बयनामा एवं उसके आधार पर दर्ज इन्तकाल को वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के हक हकूकों के विरूद्ध बातिल, बेअसर, एवं शून्य घोषित कराने का पूर्ण विधिक अधिकार वाद पत्र के माध्यम से प्राप्त है। वादी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Navjyoti Kanwania
Date: 2024.06.03 10:49:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

ा प्रार्थना पत्र नितान्त गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है, जो खारिज किये योग्य है।

द्वारा अपने अनुतोष में उक्त बयनामा एवं उसके आधार पर दर्ज इन्तकाल वादी एवं बी प्रतिवादीगण के हक हकूकों के विरूद्ध बातिल, बेअसर व शून्य घोषित किये जाने नेवदन किया है। उक्त बयनामा प्रतिवादी संख्या 01 के नाम प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा ो नाबालिग अवस्था में संयुक्त परिवार का बडा पुत्र होने व प्रेमवश कराया गया था, क उक्त आराजी संयुक्त परिवार की आय से प्राप्त राशि से क्रय की गई थी, तथा विवादित आराजी पर आज भी वादी एवं प्रतिवादीगण बहिस्से बराबर–बराबर क्तानुसार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा चूंकि उक्त विवादित जी का बयनामा एवं उसके आधार पर दर्ज व स्वीकृत इन्तकाल को शून्य घोषित नहीं जाता तब तक उक्त विवादित आराजी का विभाजन किया जाना भी संभव नहीं है। को उक्त बयनामा एवं उसके आधार पर दर्ज इन्तकाल को वादी एवं तरतीबी ादीगण के हक हकूकों के विरूद्ध बातिल बेअसर एवं शून्य घोषित कराने का पूर्ण क अधिकार वाद पत्र के माध्यम से प्राप्त है। वादी द्वारा मौजूदा प्रार्थना पत्र नितान्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा वाद पत्र में बयनामा व इन्तकाल को विवादित नहीं बताया गया, बल्कि वादपत्र में त आराजी को विवादित बताया गया है। यह कथन नितान्त गलत है कि बयनामा को करार दिये जाने व घोषित किये जाने का अनुतोष सिविल न्यायालय द्वारा दिया जा ता है। वादी द्वारा उक्त बयनामा को विवादित नहीं बताया है, और निरस्त कराने का ोष नहीं चाहा है। बयनामा को वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के हक हकूकों के द्ध बातिल, बेअसर व शून्य घोषित किये जाने का अनुतोष वाद पत्र में चाहा गया है। त आधार पर प्रा0 पत्र खारिज किये जोने योग्य है। वादी द्वारा उक्त बयनामा को ादित नहीं बताया है, और निरस्त कराने का अनुतोष नहीं चाहा है। बयनामा को वादी तरतीबी प्रतिवादीगण के हक हकूकों के विरूद्ध बातिल, बेअसर व शून्य घोषित किये ने का अनुतोष वाद पत्र में चाहा गया है। जिस आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किये ने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 01 मय विशेष हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी प्रतिवादी के विद्वान वकील की बहस सुनी गई। वकील ने अपनी बहस में प्रा0 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी प्रार्थी द्वारा मौजूदा वा/प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जो कानूनन चलने ग्य और पोषणीय नहीं होने के कारण काबिल खारिज है। उक्त वाद और वाद के नुतोष जिमन में यह तथ्य अंकित किया गया है कि ... बयनामा एवम उसके ाधार पर दर्ज इन्तकाल वादी एवम तरतीबी प्रतिवादीगण के ... के विरूद्ध बातिल असर व शून्य घोषित किये जाने योग्य है। ... वाद में बयनामा एवम न्तकाल को विवादित बताते हुए बयनामा को शून्य करार ... जाने व घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया है जबकि यह तथ्य स्पष्ट है कि बयनामा को शून्य करार घोषित

Signature Not Verified
Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:49:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर

Scanned with OKEN Scanner

जाने का कानूनन अधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को प्राप्त है और मौजूदा में चाहा गया अनुतोष श्रीमान राजस्व न्यायालय के श्रवण क्षेत्राधिकार में नहीं होने के मौजूदा वाद सुनवाई योग्य नहीं होने के कारण काबिल खारिज है। मौजूदा वाद में बयनामा एवम इन्तकाल को शून्य करार किया जाकर बातिल व बेअसर करने का न किया है जबकि बयनामा शून्य करार दिये जाने का सुनवाई क्षेत्राधिकार सिविल लय को है तथा इन्तकाल के विरूद्ध दावा पोषणीय नहीं है और विधि द्वारा स्थापित न्त एवम कानून के मुताबिक इन्तकाल को चैलेंज करने के लिए उसके विरूद्ध अपील न्यायालय में पोषणीय है। जिस कार्यवाही से बचने की गरज से मौजूदा वाद गलत एवम गलत अनुतोष के आधार पर न्यायालय में दायर किया गया है, जिस आधार ौजूदा वाद पोषणीय नहीं होने के कारण काबिल खारिज है।

अतः प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी प्रतिवादी का यह कथन नितान्त गलत है कि मौजूदा दावा/प्रार्थना पत्र तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है और कानूनन पोषणीय नहीं है बल्कि वाद र्णतः सही एवं वास्तकि तथ्यो पर प्रस्तुत किया गया है और कानूनन पोषणीय है। ा वाद पत्र में प्रतिवादी को बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है और निष्पादित मा एव उसके आधार पर दर्ज इन्तकाल वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के हक हकूकों रूद्ध बातिल, बेअसर, शून्य घोषित किये जाने का निवेदन किया है। जिस संबंध में न है कि चूंकि विवादित आराजी हाल आराजी खसरा नंबर हाल 312 रकबा 0.53 है0 क खसरा नंबर 160 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा हाल खसरा नंबर 1111 रकबा 1.18 यर साबिक खसरा नंबर 526 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, हाल खसरा नंबर 1154 रकबा है0 साबिक खसरा नंबर 546 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 2.64 वाके ग्राम केरवाजाट तहसील व जिला अलवर राज0 का 1/2 हिस्सा खाता संख्या 56 खाता संख्या पुराना 59 के हाल खसरा नंबर 633 रकबा 0.52 है0 साबिक खसरा 307 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा सालिम वाके ग्राम केरवाजाट तहसील व जिला अलवर 0 जो कि पूर्व में बदलू पुत्र श्री हरफूल जाति जाट निवासी ग्राम केरवाजाट तहसील व ा अलवर राज0 के कब्जा काश्तकारी खातेदारी की आराजी थी। उक्त विवादित ाजी को तरतीवी प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 जो कि उस समय ालिग था के नाम से खातेदार बदलू से दिनांक 23.12.1976 को जरिये बयनामा लेखपत्र ंक 1389 के खरीद किया गया था। चूंकि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार एवं ू मुश्तर्का खानदान के सदस्य हैं, तथा असल प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा परिवादी की लाती आय से अर्जित राशि लगाकर उक्त विवादित आराजी का बयनामा उस समय ल प्रतिवादी संख्या 01 जो कि घर का सदस्य था, इसलिये तीवी प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा उक्त विवादित आराजी का बयनामा असल प्रतिवादी ख्या 01 खुशीराम पुत्र घीसाराम नाबालिग जरिये सरपरस्त पिता घीसाराम के निष्पादित ा दिया गया। चूंकि तरतीवी प्रतिवादी संख्या 02 के वादी एवं असल प्रतिवादी संख्या 01

Signature Not Verified
Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:49:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

जाने का कानूनन अधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को प्राप्त है और मौजूदा मे चाहा गया अनुतोष श्रीमान राजस्व न्यायालय के श्रवण क्षेत्राधिकार में नहीं होने के मौजूदा वाद सुनवाई योग्य नहीं होने के कारण काबिल खारिज है। मौजूदा वाद में बयनामा एवम इन्तकाल को शून्य करार किया जाकर बातिल व बेअसर करने का न किया है जबकि बयनामा शून्य करार दिये जाने का सुनवाई क्षेत्राधिकार सिविल लय को है तथा इन्तकाल के विरूद्ध दावा पोषणीय नहीं है और विधि द्वारा स्थापित त एवम कानून के मुताबिक इन्तकाल को चैलेंज करने के लिए उसके विरूद्ध अपील न्यायालय में पोषणीय है। जिस कार्यवाही से बचने की गरज से मौजूदा वाद गलत एवम गलत अनुतोष के आधार पर न्यायालय में दायर किया गया है, जिस आधार जूदा वाद पोषणीय नहीं होने के कारण काबिल खारिज है।

अतः प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी प्रतिवादी का यह कथन नितान्त गलत है कि मौजूदा दावा/प्रार्थना पत्र तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है और कानूनन पोषणीय नहीं है बल्कि वाद र्णतः सही एवं वास्तकि तथ्यो पर प्रस्तुत किया गया है और कानूनन पोषणीय है। ा वाद पत्र में प्रतिवादी को बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है और निष्पादित मा एव उसके आधार पर दर्ज इन्तकाल वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के हक हकूकों रूद्ध बातिल, बेअसर, शून्य घोषित किये जाने का निवेदन किया है। जिस संबंध में न है कि चूंकि विवादित आराजी हाल आराजी खसरा नंबर हाल 312 रकबा 0.53 है0 क खसरा नंबर 160 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा हाल खसरा नंबर 1111 रकबा 1.18 यर साबिक खसरा नंबर 526 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, हाल खसरा नंबर 1154 रकबा है0 साबिक खसरा नंबर 546 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 2.64 वाके ग्राम केरवाजाट तहसील व जिला अलवर राज0 का 1/2 हिस्सा खाता संख्या 56 खाता संख्या पुराना 59 के हाल खसरा नंबर 633 रकबा 0.52 है0 साबिक खसरा 307 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा सालिम वाके ग्राम केरवाजाट तहसील व जिला अलवर) जो कि पूर्व में बदलू पुत्र श्री हरफूल जाति जाट निवासी ग्राम केरवाजाट तहसील व ा अलवर राज0 के कब्जा काश्तकारी खातेदारी की आराजी थी। उक्त विवादित जी को तरतीबी प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 जो कि उस समय लिग था के नाम से खातेदार बदलू से दिनांक 23.12.1976 को जरिये बयनामा लेखपत्र क 1389 के खरीद किया गया था। चूंकि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार एवं मुश्तर्का खानदान के सदस्य हैं, तथा असल प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा परिवादी की लाती आय से अर्जित राशि लगाकर उक्त विवादित आराजी का बयनामा उस समय ल प्रतिवादी संख्या 01 जो कि घर का सबसे छोटा पुत्र था तथा नाबालिग था, इसलिये तीबी प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा उक्त विवादित आराजी का बयनामा असल प्रतिवादी ख्या 01 खुशीराम पुत्र घीसाराम नाबालिग जरिये वली पिता घीसाराम के निष्पादित रा दिया गया। चूंकि तरतीबी प्रतिवादी संख्या 02 के वादी एवं असल प्रतिवादी संख्या 01

Signature Not Verified
Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:49:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

ीबी प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 07 पुत्र व पुत्रियां है, इसलिये बाद खरीद घीसाराम के समस्त वारिसान का उक्त विवादित आराजी में प्रत्येक का 1/8 हिस्सा है, तथा नुसार वादी एवं असल प्रतिवादी संख्या 01 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 02 लगायत बिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। ऐसी सूरत में उक्त विवादित आराजी के न हेतु वादी द्वारा धारा 53 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पत्र के माध्यम दन किया गया है। चूंकि उक्त विवादित आराजी का बयनामा एवं उसके आधार पर स्वीकृत इन्तकाल को शून्य घोषित नहीं किया जाता, तब तक उक्त विवादित ो का विभाजन किया जाना भी संभव नहीं है। वादी को उक्त बयनामा एवं उसके पर दर्ज इन्तकाल को वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के हक हकूकों के विरूद्ध बेअसर, एवं शून्य घोषित कराने का पूर्ण विधिक अधिकार वाद पत्र के माध्यम से है। वादी द्वारा मौजूदा प्रार्थना पत्र नितान्त गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है, ारिज किये जाने योग्य है।

द्वारा अपने अनुतोष में उक्त बयनामा एवं उसके आधार पर दर्ज इन्तकाल वादी एवं ी प्रतिवादीगण के हक हकूकों के विरूद्ध बातिल, बेअसर व शून्य घोषित किये जाने नेवदेन किया है। उक्त बयनामा प्रतिवादी संख्या 01 के नाम प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा ो नाबालिग अवस्था में संयुक्त परिवार का बडा पुत्र होने व प्रेमवश कराया गया था, ़ उक्त आराजी संयुक्त परिवार की आय से प्राप्त राशि से क्रय की गई थी, तथा विवादित आराजी पर आज भी वादी एवं प्रतिवादीगण बहिस्से बराबर–बराबर क्तानुसार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा चूंकि उक्त विवादित जी का बयनामा एवं उसके आधार पर दर्ज व स्वीकृत इन्तकाल को शून्य घोषित नहीं जाता तब तक उक्त विवादित आराजी का विभाजन किया जाना भी संभव नहीं है। को उक्त बयनामा एवं उसके आधार पर दर्ज इन्तकाल को वादी एवं तरतीबी ादीगण के हक हकूकों के विरूद्ध बातिल बेअसर एवं शून्य घोषित कराने का पूर्ण क अधिकार वाद पत्र के माध्यम से प्राप्त है। वादी द्वारा मौजूदा प्रार्थना पत्र नितान्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा वाद पत्र में बयनामा व इन्तकाल को विवादित नहीं बताया गया, बल्कि वादपत्र में ्त आराजी को विवादित बताया गया है। यह कथन नितान्त गलत है कि बयनामा को करार दिये जाने व घोषित किये जाने का अनुतोष सिविल न्यायालय द्वारा दिया जा ता है। वादी द्वारा उक्त बयनामा को विवादित नहीं बताया है, और निरस्त कराने का तोष नहीं चाहा है। बयनामा को वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के हक हकूकों के रूद्ध बातिल, बेअसर व शून्य घोषित किये जाने का अनुतोष वाद पत्र में चाहा गया है। स आधार पर प्रा0 पत्र खारिज किये जोने योग्य है। वा[illegible] उक्त बयनामा को ादित नहीं बताया है, और निरस्त कराने का अनुतोष [illegible] बयनामा को वादी तरतीबी प्रतिवादीगण के हक हकूकों के विरूद्ध बातिल, बेअ[illegible] शून्य घोषित किये ने का अनुतोष वाद पत्र में चाहा गया है। जिस आधार [illegible] पत्र खारिज किये ने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:49:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

ार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 01 मय विशेष हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का न किया गया। उभयपक्ष के विद्वान वकील की बहस एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब नन किया गया। विवादित आराजी हाल आराजी खसरा नंबर हाल 312 रकबा 0.53 ाबिक खसरा नंबर 160 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा हाल खसरा नंबर 1111 रकबा 1.18 र साबिक खसरा नंबर 526 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, हाल खसरा नंबर 1154 रकबा है0 साबिक खसरा नंबर 546 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 2.64 के ग्राम केरवाजाट तहसील व जिला अलवर राज0 का 1/2 हिस्सा खाता संख्या 6 खाता संख्या पुराना 59 के हाल खसरा नंबर 633 रकबा 0.52 है0 साबिक खसरा 307 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा सालिम वाके ग्राम केरवाजाट तहसील व जिला अलवर जो कि पूर्व में बदलू पुत्र श्री हरफूल जाति जाट निवासी ग्राम केरवाजाट तहसील व अलवर राज0 के कब्जा काश्तकारी खातेदारी की आराजी थी। उक्त विवादित ी को तरतीबी प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 जो कि उस समय लग था के नाम से खातेदार बदलू से दिनांक 23.12.1976 को जरिये बयनामा लेखपत्र 1389 के खरीद किया गया था। मौजूदा वाद में वादी ने बयनामा एवं उसके आधार र्ज इन्तकाल वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के हक हकूकों के विरूद्ध बातिल, बेअसर य घोषित किये जाने का निवदेन किया है जबकि यह तथ्य स्पष्ट है कि बयनामा को ण्ड वाइड घोषित किये जाने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर सिविल लय को प्राप्त है। इसीलिए वादी का वाद पोषणीय नहीं होने पर काबिल खारिज है। प्रार्थी का प्रा0 पत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0 दी0 स्वीकार जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी प्रतिवादी का प्रा0 पत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0 दी0 ार किया जाता है। मूल वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर तकमील दाखित दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06.03.2024 को खुले न्यायालय नाया गया।

(सुश्री नवज्योति कंवरिया)
आरएएस
सहायक कलक्टर अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:49:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner